	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 17, गुरूवार, शाके 1944-सितम्बर 08, 2022 *Bhadra 17, Thursday , Saka 1944- September 08, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जुलाई 25, 2022

संख्या प. 2 (12) वन/2022 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की संपति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बंदोबस्त अधिकारी/सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तु (PROVISO) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसार में राजस्थार सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद् द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वनभूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
वेंकटेश शर्मा,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम वनखण्ड / नाम चक	नाम तहसील	नाम जिला	वन खण्ड का क्षेत्रफल	वन खण्ड के क्षेत्रफल का विवरण				सीमा	वि वि
					नाम ग्राम/ चक	ख न./ मु.न. मय किला नम्बर	किला नम्बर	रकब्बा (बीघा-बिस्वा में)		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	5 जी.एम. पार्ट अ	बज्जू	बीकानेर	70.07 बीघा (17.793 हैक्टर)	5 जी. एम.	152/15	3ता8	6.00	उत्तर - काश्तकार मुरब्बा नम्बर-152/14,22,30	
							13ता18	6.00	दक्षिण – चक आबादी	
							23ता25	3.00	पूर्व - काश्तकार मुरब्बा नम्बर-152/39	
							योग	15.00	पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नम्बर-152/15	
						152/23	1ता25	25.00		
							योग	25.00		
						152/31	1ता25	25.00		
							योग	25.00		
						5 जी.एम. पार्ट अ का योग		65.00 बीघा		
	5 जी.एम. पार्ट ब					152/46	19	0.01	उत्तर - नहर	
							20	0.01	दक्षिण – काश्तकार मुरब्बा नम्बर-152/46	
							21	0.04	पूर्व - नहर	
							22	0.09	पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नम्बर-152/38	
							23	0.10		
							24	0.10		
							25	0.09		
							योग	2.09		
						5 जी.एम. पार्ट ब का योग		2.09 बीघा		
	5 जी.एम. पार्ट स					152/63	1	0.01	उत्तर - नहर	
							योग	0.01	दक्षिण – काश्तकार मुरब्बा नम्बर-152/63	
									पूर्व – नहर	

									पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 152/55	
						5 जी.एम. पार्ट स का योग		0.01 बीघा		
	5 जी.एम. पार्ट द					152/63	11	0.07	उत्तर – नहर एवं काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 152/63	
							12	0.11	दक्षिण – काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 152/64	
							18	0.10	पूर्व - नहर	
							19	0.02	पश्चिम - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 152/63	
							23	0.04		
							24	0.11		
							योग	2.05		
						5 जी.एम. पार्ट द का योग		2.05 बीघा		
	5 जी.एम. पार्ट य					153/43	16	0.02	उत्तर - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 153/43	
							25	0.10	दक्षिण – काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 153/44	
							योग	0.12	पूर्व - काश्तकार मुरब्बा नम्बर- 153/51	
						5 जी.एम. पार्ट य का योग		0.12 बीघा	पश्चिम - नहर	
						5 जी.एम. पार्ट(अ)+ पार्ट(ब) + पार्ट(स) + पार्ट(द) + पार्ट(य) का योग = 65.00 बीघा +2.09 बीघा +0.01 बीघा +2.05 बीघा +0.12 बीघा = 70.07 बीघा				
						महायोग 70.07 बीघा (17.793 हैक्टर)				

राकेश सक्सैना,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
इं.गां.न.प.
स्टेज-।। इकाई चतुर्थ
मु. 29 RD भूरासर।

विरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक
इं.गां.न.प.,स्टेज-।।
बीकानेर।

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	Azadirachta indica, A.juss	नीम
2	Acacia arubica willd	बबूल
3	Acacia jaquemontil	बोली
4	Aerua tometosa	बुई
5	CordiaMyxa, Linn	लसौडा
6	Cordia rothi	गूंदी
7	Calligonum polygonouides	फोग
8	Calotropis procera R.Sr.	आक
9	Cassia fistula, Linn	अमलतास
10	Capparis decidna	केर
11	Cenchrus cilliaris	धामण घास
12	Dalbergis sissoo, Roxb	शीशम
13	Encalyptus spp	सफेदा
14	Ficus religiosa, Linn	पीपल
15	Ficus bengalensis, Linn	बड
16	Lasiuress sindieus	सेवन घास
17	Leptadeniam Reticulatam Wight & Ar	खीप
18	Morus alba, Linn	शहतूत
19	Ricinus communis	अरण्ड
20	Prosopis spiicigera	खेजडा
21	Prosopis cineraria	खेजडी
22	Prosopis juliflora	विलायती खेजडा
23	Salvadora oligoides	पीलू
24	Salvadora persica	जाल
25	Saccharum munja	मूंजा घास
26	Acacia Tortalis	इजराईल बबूल
27	Tecomella undulata	रोहेडा
28	Zizyphus jujuba Lam	बर
29	Zizyphus xylopyra willd	घोट
30	Zizyphus nummularia	भड शेर
31	Haloxylen salvecornicum	लाणा

राकेश सक्सैना,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
इं.गां.न.प.
स्टेज-।। इकाई चतुर्थ
मु. 29 RD भूरासर।

विरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक
इं.गां.न.प.,स्टेज-।।
बीकानेर।

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षकद्वारा प्रमाण - पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड/चक :- 5 जी.एम.

रेन्ज :-इकाई चतुर्थ

नाम वन मण्डल :-उप वन संरक्षक, खण्ड-।।, बीकानेर ।

1. संलग्न प्रारुप में दशाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में बी.पी. एवं सी.एस.पी. वृक्षारोपण का कार्य 1998-99, करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।
4. भूमि पर वृक्षो का घनत्व लगभग 47 प्रतिशत है इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातिया बैर, खेजडी, टोर्टलिस का लगभग 47 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों में वाच्छित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरुप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है ।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारुप यथा विधी पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरुप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरुप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

राकेश सक्सैना,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
इं.गां.न.प.
स्टेज-।। इकाई चतुर्थ
मु. 29 RD भूरासर।

विरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक
इं.गां.न.प.,स्टेज-।।
बीकानेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।